BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, KOLKATA

O. A. No. 84 of 2024 (EZ)
(Earlier O. A. No. 319/2024/PB)

***Suo Moto*: News item titled "Bermo ke Mahuatand mei avaidh balu ke khel mai saikaro tractor se aam log ho rahe pareshan" appearing in News Wing dated 19.12.2023.**

..........Applicant(s)

Versus

Jharkhand State Pollution Control Board & Ors. ... Respondent(s)

INDEX

S. N.	Particulars	Page No.
1.	**Humble Counter Affidavit on behalf of Jharkhand State Pollution Control Board.**	01-09
2.	**Annexure-A:** True copy of Ref. no.2712 dated 19/09/2025 with D.D	10-11
3.	**Annexure-B(Series):** True copy of letter no. 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674 & 2675 dated 18/09/2025	12-43

Filed by: -

(Kumar Anurag Singh)
Advocate
JSPCB, Ranchi

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, KOLKATA

O. A. No. 84 of 2024 (EZ)
(Earlier O. A. No. 319/2024/PB)

***Suo Moto*: News Item titled "Bermo ke Mahuatand mei avaidh balu ke khel mai saikaro tractor se aam log ho rahe pareshan" appearing in News Wing dated 19.12.2023.**

... Applicant(s)

Versus

Jharkhand State Pollution Control Board & Ors. ... Respondent(s)

4th Supplementary Affidavit on behalf of Jharkhand State Pollution Control Board in compliance of the order dated 28.05.2025 & 18.08.2025.

I, Manoj Kumar Gupta, son of Late Narayan Lal Gupta presently posted as Officer on Special Duty (OSD) Legal section, Jharkhand State Pollution Control Board, Ranchi and am duly authorized to swear this affidavit and do here by solemnly state and affirm as follows: -

1. That, at present, I am working and posted as Officer on Special Duty (OSD), Jharkhand State

69
23/7/2025
ADVOCATES CLERK WELFARE FUND ₹5 FIVE RUPEES
अधिवक्ता कल्याण कोष पंद्रह रुपये झारखंड ₹15 FIFTEEN RUPEES JHARKHAND ADVOCATE WELFARE FUND
अधिवक्ता कल्याण कोष पंद्रह रुपये ₹15 FIFTEEN RUPEES ADVOCATE WELFARE FUND
10रु. COURT FEE भारत दस रुपये TEN
10रु. Rs.10 INDIA दस रुपये TEN RUPEES
RANCHI

Pollution Control Board, Ranchi and as such, I am well acquainted with all the facts and circumstances of this case.

2. That, I have gone through the order dated 28/05/2025 and 18/08/2025 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Eastern Zone Bench, Kolkata and have understood the contents therein.

3. That, I have been authorized to swear this affidavit by the Competent Authority. Further, it is stated that I have gone through the relevant files and records in the present case.

4. That it is humbly stated and submitted that earlier the calculation chart showing environmental compensation against the violators involved in the transportation of illegally mined out sand calculated by Sri Ashok Kumar Yadav, O.S.D of the Board was placed on the record.

5. That it is humbly stated and submitted that the Hon'ble Tribunal vide Order dated 28/05/2025 was pleased to allow the Jharkhand State Pollution Control Board to comply with order dated 27/11/2024

MITHILESH NARAYAN JHA NOTARY RANCHI Reg. No. A/AB 22/99

and submit a complete and exhaustive action taken report in respect of recovery of Environmental Compensation imposed upon the violators subject to payment of cost of Rs.5,000(Rupees Five Thousand only) with the Registrar, National Green Tribunal, Eastern Zone Bench, Kolkata.

6. That, it is humbly stated and submitted that accordingly, in compliance of the aforesaid order/direction, a Demand draft bearing no.417601 dated 19/09/2025 for Rs.5000/- only in favor of Registrar, N.G.T, Eastern zone Bench, Kolkata payable at Indian Bank, Kolkata has been deposited vide letter/Ref no.2712 dated 19/09/2025 of the Board.

Photocopy of Ref.no. 2712 dated 19/09/2025 & demand draft no. 417601 dated 19/09/2025 for Rs.5000/- is annexed and marked as **Annexure-A.**

7. That it is humbly stated and submitted that show cause notices have been issued by the Jharkhand

State Pollution Control Board against the violators involved in the transportation of illegally mined out sand. Show cause notices issued against the violators are summarized as follows:-

Sl. No.	Name and address of violators	Amount of Environmental compensation(in Rupees)	Vide Letter No./ dated
1.	Sri Mahendra kumar kashyap, S/o-Jay Kumar Mahto Vill.+ P.O.- bharkunda, P.s.- patratu, Dist.- Ramgarh	13,320/-	2660 18/09/2025
2.	Sri Santosh Kumar, S/o-Sulendra Mahto Vill-Nawadih,P.O.- Barkagawn, P.s.- Mandu, Dist.- Ramgarh	13,320/-	2661 18/09/2025
3.	Sri Anil Kumar, S/o-Rameshwar Mahto Vill- Nawadih P.O.- Barkagawn, P.s.- Mandu, Dist.- Ramgarh	26,640/-	2662 18/09/2025
4.	Sri Rajeshwar Tiwari, S/o-Devkinandan Tiwari Vill-Tiwari Tola Chhatar Mandu, P.s.- - Ramgarh	13320/-	2663 18/09/2025
5.	Sri Raju Prajapati, S/o-Keshar Prajapati, Vill- Chhatar Mandu, P.s.- - Ramgarh	13320/-	2664 18/09/2025

AKHILESH NARAYAN JHA NOTARY RANCHI Reg. No.- A/AB 22/80

6.	Sri Shubham Kumar, S/o-Nakul Saw, Vill-Teli Tola Near Jai Bhart Clube, Bargawn P.s.- Ramgarh Dist.- Ramgarh	13320/-	2665 18/09/2025
7.	Sri Santosh Kumar Sahu, S/o-Late Nagendra Prasad Sahu, Vill+P.O.+ P.s.- Bundu Dist.- Ranchi	13320/-	2666 18/09/2025
8.	Sri Sanjay Munda, S/o-Bhakur Munda Prasad Sahu, Vill-Kulhi Chowk Pancha, P.O.- Potmadaga, P.s.- Gola D.V.C. Chowk, Ormanjhi Dist.- Ramgarh	13320/-	2667 18/09/2025
9.	Sri Surendra Prasad, S/o-Narayan Saw, Vill+ P.O.- Chhatarpur Mandu, P.s.- Ramgarh Dist.- Ramgarh	13320/-	2668 18/09/2025
10.	Sri Ramcharan Murmu, S/o-Late Birsa Manjhi, Vill-Haisapora P.s.- Gola Dist.- Ramgarh	13320/-	2669 18/09/2025
11.	Sri Ajay Kumar (Ajay Gupta), S/o-Late Mahabir Gupta, Vill-Putkadih P.s.- Mahuwatand Dist.- Bokaro	13320/-	2670 18/09/2025
12.	Sri Janak Saw, S/o-Chetlal Saw, Vill- Chitarpur P.s.- Rajrappa Dist.- Ramgarh	13320/-	2671 18/09/2025

MITHILESH NARAYAN JHA NOTARY RANCHI Reg. No. A/B 22/89 Ranchi, Jharkhand, India

13.	Hanif Ansari, S/o-Late Liyakat Ansari, Vill-Haisapora P.s.- Gola Dist.- Ramgarh	13320/-	2672 18/09/2025
14.	Sri Subhash Kumar Singh, S/o- Jaynarayan Singh, Vill-Barki Pona, Paradih, P.s.-Rajrappa Dist.-Ramgarh	13320/-	2673 18/09/2025
15.	Sri Dular Chand Saw, S/o-Parmeshwar Saw, Vill-Gangapur, P.s.-Mahuwatand Dist.-Bokaro	13320/-	2674 18/09/2025
16.	Sri Ritu Saw, S/o-Mangar Saw, Vill-Basti Tola, Barkipunnu, Dist-Bokaro. Sri Shankar Kisku S/o-Baburam Manjhi, Vill-Putkadih, P.S.-Mahuwatand, Dist-Bokaro.	13320/-	2675 18/09/2025
Total		**2,26,440** (Rupees Two lakh Twenty-six Thousand Four Hundred Forty only)	

Photocopy of letter/Ref.No. 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674 & 2675

MITHILESH NARAYAN JHA NOTARY RANCHI Reg. No.- A/AB 22/89

dated 18/09/2025 are annexed and marked as **Annexure-B(Series)**.

8. That it is further stated and submitted that the aforesaid show cause notices issued against the accused persons have also been forwarded to the Deputy Commissioner, Bokaro and District Mining Officer, Bokaro for necessary action in this regard from their end.

9. That it is humbly stated and submitted that it is prayed that necessary action for recovery of environmental compensation from the accused persons/violators named aforesaid in accordance with law and principle of natural justice is being initiated and is under process.

10. That, the instant Affidavit is filed bonafide and in the interest of justice.

11. That the statements made in forgoing paragraphs are true to my knowledge and the annexure is true copy of its original.

Manoj Kumar Gupta

DEPONENT

MITHILESH NARAYAN JHA NOTARY RANCHI

VERIFICATION:

Verified at Ranchi on this the day of 24 september, 2025 that the averments & facts stated herein above are true and correct to my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

Manoj Kumar Gupta
DEPONENT

69 Ref.No. ...... Date 23/9/2025

23/9/2025

MITHILESH NARAYAN JHA
NOTARY
RANCHI
Reg. No.-
A/AB 22/89
Ranchi (Jharkhand) India

NOTARY PUBLIC
RANCHI

Authorised under Notaries Act 1952
Notaries Rules 1956 by Govt. of
Jharkhand (Ranchi)

JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

झारखण्ड
JSPCB

TOWNSHIP ADMINISTRATION BUILDING, HEC COMPLEX, DHURWA, RANCHI 834004
Telephone: 0651-2400850 (Fax)/ 2400851/2400852/2401847/2400979/2400139

Ref. No..2712

Ranchi, Dated...19/09/25

From,

Manoj Kumar Gupta,
Officer on Special Duty.
(Legal Section)

To,

The Registrar,
National Green Tribunal
Eastern Zone Bench, Kolkata

Sub: - Deposit of Cost of Rs.5000/-in compliance to the Order dated 18/08/2025 passed by the Hon'ble National Green Tribunal (NGT), Eastern Zone Bench (EZ), Kolkata, in O. A. No.84/2024/(EZ), News Item Titled "Bermo ke mahuatand mai avaidh balu ke khel mai saikaro tractor se aam log ro rhe pareshaan" appearing in News Wing dated 19.12.2023 Vs Jharkhand State Pollution Control Board & Ors.

Sir,

In connection with the subject mentioned above, I am directed to inform that the Hon'ble National Green Tribunal, Eastern Zone Bench, Kolkata vide Order dated 18/08/2025 was pleased to impose a cost of Rs.5000/- upon the Respondent, Jharkand State Pollution Control Board and directed to deposit the said amount with the Registrar, National Green Tribunal, Kolkata. Accordingly, in compliance to the said order, a demand draft for Rs. **5000**/- (Rupees Five Thousand) only is being submitted.

The details of the Demand Draft are as follows:-

Sl no.	Particulars of Demand Draft	Details of the Demand Draft
1.	Name of Issuing Bank/Branch	Indian Bank, Hatia payable at Kolkata Main.
2.	Demand Draft No.	**417601**
3.	Date of Issue	19/09/2025
4.	Issued in favor of	Registrar, N.G.T, Eastern Zone Bench, Kolkata.

The receipt of the said Demand Draft may please be acknowledged.

Encl: As above.

MITHILESH NARAYAN JHA NOTARY RANCHI

Yours sincerely

19/9/2025

(Manoj Kumar Gupta)
O.S.D(Legal Section)

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

(जारीकर्ता शाखा / ISSUING BRANCH)

RANCHI HATIA MARKET(05889)

केवल तीन महीने के लिए वैध Valid for three months only

19092025
D D M M Y Y Y Y

मांगे जाने पर ON DEMAND PAY REGISTRAR NGT EASTERN ZONE BENCH KOLKATA

या उनके आदेश पर OR ORDER

रुपये RUPEES Five Thousand Only

प्राप्त मूल्य के लिये अदा करें FOR VALUE RECEIVED ₹ 5000.00

इंडियन बैंक की सभी शाखाओं में सममूल्य पर देय।
Payable at par at all branches of Indian Bank

App Name: M S JHARKHAND STATE
POLLUTION
T22/MDDJ417601
KOLKATA MAIN
(अदाकर्ता शाखा, Drawee Branch)
4031

T22/MDDJ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Authorised Signatory (S.S. No.)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
Authorised Signatory (S.S. No.)

Please sign above

MADRAS SECURITY PRINTERS PVT LTD - CHENNAI / CTS - 2010

⑈417601⑈ 000019000⑆ 16

MITHILESH NARAYAN
NOTARY
RANCHI
Reg. No.
JAB 22/89
Ranchi (Jharkhand) India

झारखण्ड
JSPCB

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची

Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138

New Web : www.jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक– राँची दिनांक–

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

प्रेषित,

श्री महेन्द्र कुमार कस्यप,
पिता–जय कुमार महतो,
ग्राम+पोस्ट भरकुण्डा, थाना–पतरातु,
जिला–रामगढ़।

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 73, दिनांक 14.02.2025।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "NewsWing" में प्रकाशित न्यूजआईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आमलोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक–239/खनन्, दिनांक 22.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर संख्या JH01F-1685 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या –OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः–

MITHILESH NARAYAN NOTARY RANCHI

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

$PV = \Sigma_{t=1} (4000)/(1+0.05)^t$

$= 4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)

Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर आपके विरूद्ध रूपये 13,320/– जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 08.10.2025 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/–
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2660 रॉंची, दिनांक 18/09/2025

प्रतिलिपिः–उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ANNEXURE-'B2'

झारखण्ड JSPCB

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची
Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138
New Web : www.jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक—   राँची दिनांक—

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

प्रेषित,

श्री संतोष कुमार,
पिता—श्री शुलेन्द्र महतो,
ग्राम—नावाडीह, पो0 बड़कागांव, थाना—माण्डु,
जिला—रामगढ़।

विषयः— जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः—

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक— 73, दिनांक 14.02.2025।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक— 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "NewsWing" में प्रकाशित न्यूजआईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आमलोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक—239/खनन्, दिनांक 22.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर संख्या JH02AR-1613 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या —OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या— 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः—

Anil 23/4/2025

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

$PV = \Sigma_{t=1} (4000)/ (1+0.05)^t$

$= 4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)

Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर आपके विरूद्ध रूपये 13,320/– जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 08.10.2025 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/–
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2661 रॉंची, दिनांक 18/09/2025

प्रतिलिपिः–उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ANNEXURE-'B3'

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

झारखण्ड
JSPCB
नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची
Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138
New Web : w[illegible].jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक—   राँची दिनांक—

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

प्रेषित,

श्री अनिल कुमार,
पिता—श्री रामेश्वर महतो,
ग्राम—नावाडीह, पो0 बड़कागांव, थाना—माण्डु,
जिला—रामगढ़।

विषयः— जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः—

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक— 73, दिनांक 14.02.2025।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक— 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "NewsWing" में प्रकाशित न्यूजआईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आमलोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामले में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक—239/खनन्, दिनांक 22.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर इंजन संख्या F.3254803 एवं JFNB02278 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या —OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या— 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः—

23/10/25

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

PV = $\Sigma_{t=1}$ (4000)/ $(1+0.05)^t$

= $4000/(1+0.05)^1$+ $4000/(1+0.05)^2$+$4000(1+0.05)^3$+$4000/(1+0.05)^4$+$4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)

Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर आपके विरूद्ध रूपये 26,640/– जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 08.10.2025 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/–
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2662 | राँची, दिनांक 18/09/2025

प्रतिलिपि:–उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

NILESH NARAYAN JHA NOTARY Ranchi Jharkhand (India)

ANNEXURE-'B4' 178

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची
Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138
New Web : www.jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक— राँची दिनांक—

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

प्रेषित,

श्री राजेश्वर तिवारी,
पिता—श्री देवकी नन्दन तिवारी,
ग्राम—तिवारी टोला छतर मान्डु, थाना—रामगढ़
जिला—रामगढ़।

विषयः— जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः—

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक— 73, दिनांक 14.02.2025।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक— 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आंलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "NewsWing" में प्रकाशित न्यूजआईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आमलोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक—239 / खनन्, दिनांक 22.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर संख्या JH02AT-9726 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या —OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या— 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः—

MITHILESH NARAYAN JHA NOTARY RANCHI (Jharkhand) India NAB 22/89

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

$PV = \Sigma_{t=1} (4000)/ (1+0.05)^t$

$= 4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)
Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर आपके विरूद्ध रूपये 13,320/– जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 08.10.2025 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/–
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2663 राँची, दिनांक 18/09/2025
प्रतिलिपिः–उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

NOTARY

झारखण्ड
JSPCB

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची
Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138
New Web : www.jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक–　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　राँची दिनांक–

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

प्रेषित,

श्री राजु प्रजापति,
पिता–श्री केशर प्रजापति,
ग्राम– छतर मान्डु, थाना–रामगढ़
जिला–रामगढ़।

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 73, दिनांक 14.02.2025।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "NewsWing" में प्रकाशित न्यूजआईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आमलोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक–239/खनन्, दिनांक 22.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर संख्या JH08F-3524 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या –OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः–

NOTARY RANCHI
23/9

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

$PV = \Sigma_{t=1} (4000)/ (1+0.05)^t$

$= 4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)

Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर आपके विरूद्ध रूपये 13,320/— जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 08.10.2025 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/—
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2664 — राँची, दिनांक 18/09/2025

प्रतिलिपिः—उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

MITHILESH NARAYAN JHA NOTARY Ranchi

ANNEXURE-'B6'

182

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची
Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138
New Web : www.jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक– राँची दिनांक–

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

प्रेषित,

श्री शुभम कुमार,
पिता–श्री नकुल साव,
ग्राम–तेली टोला नियर जय भारत क्लब
बड़गाँव, थाना–रामगढ़, जिला–रामगढ़।

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 73, दिनांक 14.02.2025।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "NewsWing" में प्रकाशित न्यूजआईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आमलोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक–239/खनन्, दिनांक 22.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर संख्या JH02AW-9773 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या –OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः–

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

$PV = \Sigma_{t=1} (4000)/ (1+0.05)^t$

$= 4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)
Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर आपके विरूद्ध रूपये 13,320/– जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 08.10.2025 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/–
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2665 रॉंची, दिनांक 18/09/2025
प्रतिलिपिः–उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

NOTARY ... Ranchi, Jharkhand, India

ANNEXURE-'B7'

झारखण्ड JSPCB

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची
Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138
New Web : www.jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक– राँची दिनांक–

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

प्रेषित,

श्री संतोष कुमार साहू,
पिता–स्व0 नागेन्द्र प्रसाद साहू,
ग्राम+पो0+थाना– बुन्डु,
जिला–राँची।

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 73, दिनांक 14.02.2025।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "NewsWing" में प्रकाशित न्यूजआईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आमलोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक–239/खनन्, दिनांक 22.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर संख्या JH01AW-2205 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या –OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः–

2319

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

$PV = \Sigma_{t=1} (4000)/ (1+0.05)^t$

$= 4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)

Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर आपके विरूद्ध रूपये 13,320/– जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 08.10.2025 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/–
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2666 — राँची, दिनांक 18/09/2025

प्रतिलिपिः–उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

NOTARY RANCHI (Jharkhand) India

ANNEXURE-'B8' 186

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची
Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138
New Web : www.jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक— राँची दिनांक—

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

प्रेषित,

श्री संजय मुण्डा,
पिता—श्री भाकुर मुण्डा,
ग्राम—कुल्ही चौक पंचा, पो0—पोटमादागा,
थाना—गोला डी0भी0सी0 चौक, ओरमांझी,
जिला—रामगढ़।

विषयः— जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः—

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक— 73, दिनांक 14.02.2025।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक— 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "NewsWing" में प्रकाशित न्यूजआईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आमलोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक—239/खनन्, दिनांक 22.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर संख्या JH02AX-7639 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या —OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या— 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः—

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

$PV = \Sigma_{t=1} (4000)/ (1+0.05)^t$

$= 4000/(1+0.05)^1+ 4000/(1+0.05)^2+4000(1+0.05)^3+4000/(1+0.05)^4+4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)

Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर आपके विरूद्ध रूपये 13,320/– जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 08.10.2025 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/–
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2667 रॉंची, दिनांक 18/09/2025

प्रतिलिपिः–उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

MITHILESH NARAYAN ... NOTARY ... Ranchi (Jharkhand)

झारखण्ड
JSPCB

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची
Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138
New Web : w .jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक–

राँची दिनांक–

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

प्रेषित,

श्री सुरेन्द्र प्रसाद,
पिता–नारायण साव,
ग्राम+पो0–छतर मान्डु, थाना–रामगढ़
जिला–रामगढ़।

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 73, दिनांक 14.02.2025।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "NewsWing" में प्रकाशित न्यूजआईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आमलोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक–239/खनन्, दिनांक 22.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर संख्या JH24H-4981 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या –OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः–

MITHILESH NARAYAN
NOTARY
RANCHI

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

PV = $\Sigma_{t=1}$ (4000)/ $(1+0.05)^t$

= $4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)
Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर आपके विरूद्ध रूपये 13,320/– जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 08.10.2025 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/–
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2668 रॉंची, दिनांक 18/09/2025
प्रतिलिपिः–उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ANNEXURE- B1P' 190

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची
Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138
New Web : www.jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक–

राँची दिनांक–

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

प्रेषित,

रामचरण मुर्मू,
पिता–स्व0 बिरसा मांझी
ग्राम–हैसापोड़ा, थाना–गोला,
जिला–रामगढ़।

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 73, दिनांक 14.02.2025।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "NewsWing" में प्रकाशित न्यूजआईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आमलोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक–73/खनन्, दिनांक 14.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर चेचिस संख्या JH05DB8721 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या –OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26. 02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः–

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

$PV = \Sigma_{t=1} (4000)/ (1+0.05)^t$

$= 4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)

Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर आपके विरूद्ध रूपये 13,320/– जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 08.10.2025 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/–
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2669 रॉंची, दिनांक 18/09/2025

प्रतिलिपिः–उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

झारखण्ड

JSPCB

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची

Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138

New Web : www.jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक– राँची दिनांक–

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

प्रेषित,

अजय कुमार उर्फ अजय गुप्ता,
पिता–स्व0 महाबीर गुप्ता
ग्राम–पुटकाडीह थाना–महुआटांड
जिला–बोकारो।

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 73, दिनांक 14.02.2025।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "NewsWing" में प्रकाशित न्यूजआईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सकड़ो ट्रेक्टर से आमलोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक–73 / खनन्, दिनांक 14.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर चेचिस संख्या T0535531170CK से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आप[illegible] इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या –OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरुप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः–

AKHILESH NARAYAN ... Ranchi ... India

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

$PV = \Sigma_{t=1} (4000)/ (1+0.05)^t$

$= 4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)
Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर आपके विरूद्ध रूपये 13,320/— जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 08.10.2025 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/—
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2670 राँची, दिनांक 18/09/2025
प्रतिलिपिः—उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

NOTARY RANCHI

ANNEXURE-'B12'
194

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची
Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138
New Web : www.jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक– राँची दिनांक–

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

प्रेषित,

जनक साव
पिता–चेतलाल साव
ग्राम–चितरपुर थाना–रजरप्पा,
जिला–रामगढ़।

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 73, दिनांक 14.02.2025।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "NewsWing" में प्रकाशित न्यूजआईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आमलोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक–73/खनन्, दिनांक 14.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर चेचिस संख्या JH06N6203 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या –OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः–

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

PV = $\Sigma_{t=1}$ (4000)/ $(1+0.05)^t$

= $4000/(1+0.05)^1$+ $4000/(1+0.05)^2$+$4000(1+0.05)^3$+$4000/(1+0.05)^4$+$4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)
Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर आपके विरूद्ध रूपये 13,320/– जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 08.10.2025 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/–
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2671 राँची, दिनांक 18/09/2025
प्रतिलिपि:–उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ANNEXURE-'B13'

झारखण्ड
JSPCB

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची
Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138
New Web : www.jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक—

राँची दिनांक—

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

प्रेषित,

हनीफ अंसारी,
पिता—स्व0 लियाकत अंसारी,
ग्राम—हैसापोड़ा, थाना—गोला,
जिला—रामगढ़।

विषयः— जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः—

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक— 73, दिनांक 14.02.2025।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक— 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "NewsWing" में प्रकाशित न्यूजआईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आमलोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक—73 / खनन्, दिनांक 14.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर चेचिस संख्या JH01CQ7050 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या —OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या— 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः—

ANJU KUMARI ... NOTARY RANCHI (Jharkhand) India

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

$PV = \Sigma_{t=1} (4000)/ (1+0.05)^t$

$= 4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)
Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर आपके विरूद्ध रूपये 13,320/— जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 08.10.2025 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/—
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2672 राँची, दिनांक 18/09/2025
प्रतिलिपिः—उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

NOTARY RANCHI

ANNEXURE-'B14'

झारखण्ड JSPCB

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच० ई० सी०, धुर्वा, राँची

Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138

New Web : w_.jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक– राँची दिनांक–

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

प्रेषित,

श्री सुभाष कुमार सिंह,
पिता–जयनारायण सिंह
ग्राम–बड़की पोना, पारडीह, थाना–रजरप्पा
जिला–रामगढ़।

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 73, दिनांक 14.02.2025।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "NewsWing" में प्रकाशित न्यूजआईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आमलोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक–73/खनन्, दिनांक 14.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर संख्या JH02BG8371 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या –OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः–

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

$PV = \Sigma_{t=1} (4000)/ (1+0.05)^t$

$= 4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)

Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर आपके विरूद्ध रूपये 13,320/– जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 08.10.2025 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/–
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2673, राँची, दिनांक 18/09/2025

प्रतिलिपिः–उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

MITHILESH ... NOTARY RANCHI

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची
Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138
New Web : www.jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक– राँची दिनांक–

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

प्रेषित,

श्री दुलार चन्द्र साव,
पिता–श्री परमेश्वर साव,
ग्राम–गंगापुर थाना–महुआटांड़
जिला–बोकारो।

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 73, दिनांक 14.02.2025।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "NewsWing" में प्रकाशित न्यूजआईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आमलोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक–73/खनन्, दिनांक 14.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर संख्या WB1/B2506 से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या –OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः–

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

$PV = \Sigma_{t=1} (4000)/ (1+0.05)^t$

$= 4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)
Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर आपके विरूद्ध रूपये 13,320/– जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 08.10.2025 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/–
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2674 — राँची, दिनांक 18/09/2025
प्रतिलिपिः—उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ANNEXURE-'B'

202

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची
Phone No:-0651- 2400852, 2400851, 2400979, Fax No:- 2400850/138
New Web : www.jspcb.nic.in; e-mail- ranchijspcb@gmail.com

पत्रांक– राँची दिनांक–

प्रेषक,

राजीव लोचन बक्शी
सदस्य सचिव

प्रेषित,

श्री ऋतु साव,
पिता–मांगर साव,
ग्राम–बस्ती टोला, बड़कीपुन्नू,
जिला–बोकारो।

श्री शंकर किस्कु,
पिता–बाबूराम मांझी,
ग्राम–पुटकाडीह, थाना–महुआटांड,
जिला–बोकारो।

विषयः– जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण पृच्छा की नोटिस।

प्रसंगः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के Principal Bench, O.A. No.- 319/2024 के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 04.04.2024, 08.08.2024, 24.10.2024, 24.01.2025 एवं 28.05.2025।
2. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 73, दिनांक 14.02.2025।
3. जिला खनन् कार्यालय, बोकारो का पत्रांक– 239, दिनांक 22.02.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में सूचित करना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) ने दिनांक 19.12.2023 को "NewsWing" में प्रकाशित न्यूजआईटम "बेरमो के महुआटाँड़ में अवैध बालू के खेल में सैकड़ो ट्रेक्टर से आमलोग हो रहे परेशान" में स्वतः संज्ञान लेते हुये इस मामलें में दोषी अभ्युक्तियों के विरूद्ध कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (Action Taken Report) समर्पित करने का आदेश दिया था।

चूँकि जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो से प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक–73/खनन्, दिनांक 14.02.2025 से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा महुआटाँड, बोकारो से बालू का अवैध उत्खनन् कर अपने ट्रेक्टर चेचिस संख्या MBNAJ48AFMTF से अवैध ढंग से बालू का परिवहन एवं निजी लाभ हेतु इसकी बिक्री की गयी है, जिसके लिये आपके विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज करते हुये Mines and Minerals Act, 1957 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।

चूँकि आपके इस अवैध कार्य से जल स्रोतों के पर्यावरणीय अनुकूलता एवं जैव पारिस्थतिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुँची है। चूँकि आपके इस अवैध कार्य से पर्यावरण को पहुँचायी गयी क्षति की गणना माननीय NGT, Principal Bench, New Delhi द्वारा वाद संख्या –OA No.- 360/2015 के आदेश संख्या– 26.02.2021 में उल्लेखित नियम के अनुरूप किया जाना है, जो निम्नरूपेण हैः–

Environmental Compensation Calculation:-

NPV = PV-D

Where PV = Present value of forgone ecological values (@5 % discount rate and over 5 years)
D = Market value of illegal mines material
(Considering market value of illegal mines sand D= Rs. 4000/- per tractor)

Annual value of forgone ecological values per tractor = D * RF

Where RF is the Risk Factor
(RF= 1 in case of severe risk level)

D*RF= Rs. 4000 X 1 = Rs. 4000/-

$PV = \Sigma_{t=1} (4000)/ (1+0.05)^t$

$= 4000/(1+0.05)^1 + 4000/(1+0.05)^2 + 4000(1+0.05)^3 + 4000/(1+0.05)^4 + 4000/(1+0.05)^5$
= 17320 per tractor (=100 cft/tractor)

Total compensation:-

NPV = PV-D = 17320-4000 = 13320 per tractor (Tractor capacity 100 cft)

उक्त प्रणाली के अनुरूप गणना करने पर आपके विरूद्ध रू० 13,320/– जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के तहत् प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये सक्षम प्राधिकार द्वारा आपको निदेशित किया जाता है कि सदस्य सचिव कार्यालय में दिनांक 08.10.2025 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में स्वयं उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखे, साथ ही यह स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षति की वसूली सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत की जाय अन्यथा आपके विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

ह०/–
(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक 2675 रॉंची, दिनांक 18/09/2025

प्रतिलिपिः—उपायुक्त, बोकारो/जिला खनन् पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव